राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः प.22(4)न्याय/2016 जयपुर, दिनांकः 16.8.19

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत सहायक विधि परामर्शी के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.08.2017 को आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2017–18 के रिक्त पदों के विरूद्ध विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में श्री अशोक वर्मा (पात्रता सूची क्रमांक 6) वरिष्ठ विधि अधिकारी के पर्याप्त वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण इनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाकर इनके लिए 1 पद सुरक्षित रखते हुए इनकी पदोन्नति का प्रकरण स्थगित (डैफर) किया गया था।

श्री अशोक वर्मा के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध होने पर विभागीय पदोन्नति समिति की वर्ष 2017–18 के रिक्तियों विरूद्ध पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.08.2019 को आयोजित की गई जिसमें समिति की अभिशंसा के अनुसार श्री अशोक वर्मा, वरिष्ठ विधि अधिकारी का चयन होने के कारण वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर सहायक विधि परामर्शी के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्रीमती अनिता सक्सेना के नीचे तथा विमला रामावत के ऊपर रहेगी।

श्री अशोक वर्मा का सहायक विधि परामर्शी के पद के वेतनमान **PB No.-3 (15600-39100) GP No.-16 (6000) L-15** में दिनांक 01.04.2017 की रिक्तियों के विरूद्ध वेतन निर्धारण किया जाएगा।

पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण करने की दिनांक से देय होगा। श्री वर्मा के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

16/8

(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

16.8.19

(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\Procedding_2019-20\(5) ALR ORDER.docx

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(4)न्याय/2016 जयपुर, दिनांक 16.8.19

::आज्ञा::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के अन्तर्गत सहायक विधि परामर्शी की वर्ष 2016–17 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.08.2017 को आयोजित की गई। श्री बरकत उल्लाह सुल्तानी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 55/04 एवं प्रकरण संख्या 54/2012 न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नति का प्रकरण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा बन्द लिफाफे में रखा गया था। श्री सुल्तानी को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये जाने के कारण इस विभाग के आदेश क्रमांक प.23(2)न्याय/2012 दिनांक 27.05.2019 द्वारा इन्हें कनिष्ठ विधि अधिकारी से वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। श्री सुल्तानी की वरिष्ठता श्री मनीष कुमार उपाध्याय के नीचे तथा श्री महेन्द्र कुमार के ऊपर रखी गई है। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 2016–17 में पात्रता सूची में श्री सुल्तानी का नाम शामिल नहीं किया गया। इनसे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति होने के कारण इनकी पदोन्नति हेतु सहायक विधि परामर्शी के पद पर वर्ष 2016–17 की बैठक आयोजित कर इनकी पात्रता पर विचार किया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए वर्ष 2016–17 एवं प्रभावित आगामी वर्षों की रिक्तियों के विरूद्ध की गई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.08.2017 के पुनरावलोकन हेतु की गई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.08.2019 को आयोजित की गई। पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक की सहायक विधि परामर्शी की रिक्ति के विरूद्ध निम्न अधिकारियों को एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है:–

वर्ष 2016–17

श्री बरकत उल्लाह सुल्तानी, वरिष्ठ विधि अधिकारी को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है तथा इनका नाम वर्ष 2016–17 की चयन सूची में श्री मनीष कुमार उपाध्याय के नीचे तथा श्री महेन्द्र कुमार के ऊपर जोड़ा जाता है। वर्ष 2016–17 में कनिष्ठतम अधिकारी श्री उगमाराम का नाम चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2017–18

श्री उगमाराम को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया जाता है तथा इनका नाम वर्ष 2017–18 की चयन सूची में श्रीमती कृपावती हर्ष के ऊपर जोड़ा जाता है। वर्ष 2017–18 में सामान्य वर्ग के कनिष्ठतम अधिकारी श्री महेश चन्द यादव का नाम चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

वर्ष 2018–19

श्री महेश चन्द यादव को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वर्ष 2018–19 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किया जाता है तथा इनका नाम चयन सूची में कनिष्ठतम अधिकारी श्री हेमन्त कुमार वर्मा के ऊपर जोड़ा जाता है। वर्ष 2018–19 में सामान्य वर्ग की कनिष्ठतम अधिकारी श्रीमती सीमा माहेश्वरी का नाम चयन सूची से विलोपित किया जाता है।

उक्त अधिकारियों को सहायक विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला **PB No.-3 (15600-39100) GP No.-16 (6000) L-15** के अन्तर्गत पदोन्नत किया गया है।

उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों में श्री बरकत उल्लाह सुल्तानी, वरिष्ठ विधि अधिकारी, राजकीय वादकरण (विधि प्रकोष्ठ–4) विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर का पदोन्नति पर पदस्थापन/स्थानान्तरण सहायक विधि परामर्शी, राजकीय वादकरण (विधि प्रकोष्ठ–4) विधि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के रिक्त पद पर किया जाता है तथा कार्यग्रहण की दिनांक से नकद लाभ देय होगा। सर्व श्री उगमाराम, महेश चन्द यादव एवं सीमा माहेश्वरी आगामी आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से
16/8/19
(महावीर प्रसाद शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संबंधित अधिकारी/विभाग/ निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
5. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

16-8-19
(मधुसूदन शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव